# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**दिनांक- 12.04.2025**

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना राजपुर पुलिस की कार्यवाही से चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 01 जोडी कान के झाले व 01 अदद करधनी के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादी श्री ओमनरायण पुत्र रामचंन्द्र निवासी ग्राम सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा घर से सोने के झाले व बच्चे की चांदी की करधनी चोरी कर लेने के संम्वन्ध दी गयी तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 0011/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 01 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त कि गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 12.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र किशुनलाल निवासी ग्राम गहलौ थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को मय 01 जोडी कान के झाले व 01 करधनी के साथ सिलहरा भट्ठा से रसूलपुर जाने वाले खण्डजा रास्ता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –**

1. अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र किशुनलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गहलौ थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 जोडी कान के झाले व 01 अदद करधनी।

**अभियुक्त आनन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 11/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

**<u>गिरफ्तार करने थाना राजपुर पुलिस टीम-</u>**

1. उ0नि0 श्री बीरेन्द्र कुमार साहू।
2. उ0नि0 श्री रामाशंकर पाल ।
3. हे0कां0 204 सनवेद सिंह ।
4. हे0का0 119 धीरेन्द्र कुमार ।
5. हे0कां0 257 गजेन्द्र प्रताप सिंह।